

Motion for Election of two women members of Lok Sabha to the Central Supervisory Board

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Hon. Chairperson Sir, I rise to move the following: -

?That in pursuance of clause (f) of sub-section (2) of Section 7 read with clause (a) of sub-section (1) of Section 8 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two women members from amongst themselves to serve as members of the Central Supervisory Board subject to the provisions of Section 15 of the said Act, and the Rules made thereunder.?

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

?कि गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (क) के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (2) के खंड (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों और उसके अधीन बनाये गए नियमों के अधधीन सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्य निर्वाचित करें ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

\_\_\_\_\_

माननीय सभापति: आइटम नंबर 9.

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: कल्याण जी, कोई विषय होगा, तो हम मौका देंगे । इसे हो जाने दीजिए । पेपर ले हो जाने दीजिए । आइटम नंबर 9.

12.39 hrs

